

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 320
No. 21]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938	[N.C.T.D. No. 320

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

सं. एफ 3(14)/वित्त (राजस्व-1)/2012-13/डीएस-VI/24.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित ग्रेड-II (दास) अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदधारण तिथि	पदनाम
	श्री/श्रीमती/कु0		
1	श्री सतीश कुमार तंवर	19.10.2016 (पूर्वाहन्)	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उपसचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th January, 2017

No. F. 3(14)/Fin (Rev.-I)/2012-13/DS-VI/24.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Gr.II (DASS) officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:-

S. No.	Name of the Officer	DOJ	Appointed as
1	Satish Kumar Tanwar	19/10/16 (F/N)	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (FINANCE)